भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2198

दिनांक 02.08.2023 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूण खनिज

†2198. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने देश में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार का विचार कीमती और महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए खनिजों की खोज के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे देश में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) जी, हां। खान मंत्रालय ने हमारे देश के महत्वपूर्ण खनिजों की सूची की पहचान करने के लिए दिनांक 01.11.2022 के आदेश संख्या 11/1/2022-आईसी के तहत संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और भारत के लिए महत्वपूर्ण कुल 30 खनिजों की सिफारिश की है। सूचनाओं के आधार पर सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है। ये खनिज एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफ़नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, निओबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम हैं ।

(घ) और (ड.) केंद्र सरकार ने खनिज गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मान्यता प्राप्त निजी गवेषण एजेंसियां, जिन्हें एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4(1) के दूसरे परंतुक के तहत अधिसूचित किया गया है, को बिना किसी पूर्वेक्षण लाइसेंस के गवेषण करने की अनुमति दी गई है। इन एजेंसियों को राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने का पात्र भी बनाया गया है। अब तक, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुल 14 निजी एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है। ये एजेंसियां एनएमईटी निधि से 11 गवेषण परियोजनाओं को शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति संयुक्त लाइसेंस की नीलामी हेतु किसी क्षेत्र की अधिसूचना के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही, खनिज गवेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ गभीरस्थ और महत्वपूर्ण खनिज वस्तुओं के संयुक्त लाइसेंस (सीएल) धारकों के लिए एनएमईटी से गवेषण व्ययों की आंशिक प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं।

******